

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- श्री सुनील कुमार I, (RAS)

राजस्व वाद संख्या :- 12/2024 GCMS 2024/21

वादीया :-

मनभरीदेवी पत्नी श्री रामकरण जाति गुर्जर उम्र 56 वर्ष निवासी ग्राम सुजानपुरा तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना-कुचामन राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. सुरजकरण पुत्र श्री भंवरलाल
2. प्रहलादराम पुत्र श्री भंवरलाल
3. खेताराम पुत्र छोटूराम
4. चुका पुत्री छोटूराम
5. तुलछीराम पुत्र छोटूराम
6. भंवरराम पुत्र रूघाराम
7. भंवरी पुत्री छोटूराम
8. मोहनीदेवी पत्नी नन्दाराम
9. रतनी पुत्री छोटूराम
10. रामेश्वरलाल पुत्र नन्दाराम
11. रामादेवी पत्नी छोटूराम
12. सरजू पुत्र छोटूराम
13. सुरजकरण पुत्र भंवरलाल
14. हरलाल पुत्र कजाराम

समस्त जाति गुर्जर निवासियान ग्राम सुजानपुरा तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना-कुचामन राजस्थान।

15. भंवरराम पुत्र रूघाराम
 16. मेहनीदेवी पत्नी भुवानाराम
 17. रामेश्वरलाल पुत्र आसुराम
 18. हणमानराम पुत्र भुवानाराम
- समस्त जाति मेघवंशी निवासियान इण्डाली तह. नावां जिला डीडवाना-कुचामन राजं।
19. शाखा प्रबंधक यूको बैंक शाखा पांचवा।
 20. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधी तहसीलदार महोदय कुचामन सिटी

दावा इस्तकरार खातेदारी दर्ज करने बाबत अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री बिरमाराम चौधरी वादीयां की ओर से

श्री सुरेन्द्र कुमार किरडोलिया प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से

:-निर्णय :-



दिनांक 18/03/2025



वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि यह है कि मौजा ग्राम सुजानपुरा पटवार हल्का दीपपुरा की सरहद मे स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 67

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

रकबा 2.58 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 68 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 69 रकबा 2.76 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 70 रकबा 2.67 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 71 रकबा 5.74 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 72 रकबा 2.99 हैक्टेयर कुल खसरे 6 कुल रकबा 16.75 हैक्टेयर में वादीया की खरीदशुदा कृषि भूमि एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 18 के साथ कृषि भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी बतौर सबूत वाद पत्र के साथ संलग्न है। प्रतिवादीगण सं 1 ता 02 से वादीया ने दिनांक 25.06.2014 को खरीद किया था। जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय कुचामन सिटी में दिनांक 25.06.2014 को पुस्तक सं. 1 जिल्द संख्या 252 में पृष्ठ संख्या 73 क्रम संख्या 2014002494 पर पंजीबद्ध किया गया है। वादीया द्वारा अपने नाम नामांतरकरण दर्ज हेतु पटवारी महोदय से सम्पर्क किया तो पटवारी महोदय ने कहा की तत्कालीन विक्रेतागण ने अपनी कृषि भूमि पर रहन ले रखा है। इसलिए नामांतरकरण की कार्यवाही नहीं होगी। वादीया उपरोक्त के खसरा नम्बर 67 रकबा 2.58 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 68 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 69 रकबा 2.76 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 70 रकबा 2.67 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 71 रकबा 5.74 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 72 रकबा 2.99 हैक्टेयर कुल खसरे 6 कुल रकबा 16.75 हैक्टेयर भूमि में से तत्कालीन विक्रेता एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 का रकबा 10.04 हैक्टेयर में 1/4 हिस्से में से तत्कालीन विक्रेता एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 ने अपनी हक हिस्से की सम्पूर्ण कृषि भूमि वादीया ने खरीद किया था। तथा खरीद तारीख से मौके पर अपनी भूमि के चारों ओर नींव सींव कायम कर काश्त करती आ रही हूँ। उपरोक्त खसरा नं. की भूमि में वादीया अपनी खरीदशुदा भूमि उपयोग उपभोग अपनी इच्छा अनुसार करती आ रही हूँ खरीदशुदा भूमि का खातेदारी दर्ज कराने कि अधिकारी है। प्रतिवादी 1 ता 18 सहखातेदार तथा प्रतिवादी संख्या 20 भूमि धारी होने से औपचारिक पक्षकार है। मौजा ग्राम सुजानपुरा पटवार हल्का दीपपुरा की सरहद में स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 67 रकबा 2.58 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 68 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 69 रकबा 2.76 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 70 रकबा 2.67 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 71 रकबा 5.74 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 72 रकबा 2.99 हैक्टेयर कुल खसरे 6 कुल रकबा 16.75 हैक्टेयर भूमि में से तत्कालीन विक्रेता एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 का रकबा 10.04 हैक्टेयर में 1/4 दर हिस्से में से तत्कालीन विक्रेता एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 हक हिस्से की सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी दर्ज किया जाने का आदेश तहसीलदार कुचामन सिटी को फरमाया जावे व इस आशय की इ.हक. व रेकार्ड दुरुस्ती की डीकी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी सादिर फरमाई जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वकील वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 03 से 18 के विरुद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहने बाबत निवेदन किया गया। प्रतिवादी संख्या 19 व 20 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। जिनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीया व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से प्रकरण में राजीनाम प्रस्तुत कर कथन किया है कि मौजा ग्राम सुजानपुरा पटवार हल्का दीपपुरा की सरहद में स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 67 रकबा 2.58 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 68 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 69 रकबा 2.76 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 70 रकबा 2.67 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 71 रकबा 5.74 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 72 रकबा 2.99 हैक्टेयर कुल खसरे 06 कुल रकबा 16.75 हैक्टेयर में वादीया ने प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 की कुल रकबा 16.75



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

हैक्टर में रकबा 10.04 हैक्टर में 1/4 हिस्सा तत्कालीन विक्रेतागण (प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02) के हक हिस्से की सम्पूर्ण भूमि अर्थात् रकबा 0.8366 हैक्टर खरीद किया था। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 02 ने अपनी शेष बची हुई कृषि भूमि पर रहन लिया था। प्रतिवादीगण संख्या 01 सुरजकरण व प्रतिवादीगण संख्या 02 प्रहलादराम द्वारा वादीया को बेचान की गई भूमि रकबा 0.8366 हैक्टर की खातेदारी कृषक घोषित किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की कोई अपाती नहीं है तथा हम प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की कोई अपती नहीं है तथा हम प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 का बहिस्सा बराबर बराबर राजस्व रेकर्ड से कम कर वादीया को रकबा 0.8366 हैक्टर काशतकार घोषित किये जाने का आदेश फरमाया जावे। उपरोक्त खसरा नम्बरान् में वादीया को रकबा 0.8366 हैक्टर काशतकार घोषित किया जाकर तहसीलदार कुचामन सिटी को नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश फरमाया जाये।

वकील वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम सुजानपुरा के खाता संख्या नया 83 नकल जमाबंदी व बेचाननामा की प्रतियां प्रस्तुत की है।


पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 व प्रतिवादी संख्या 02 से से मौजा ग्राम सुजानपुरा पटवार हल्का दीपपुरा की सरहद में स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 67 रकबा 2.58 हैक्टर, खसरा नम्बर 68 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 69 रकबा 2.76 हैक्टर, खसरा नम्बर 70 रकबा 2.67 हैक्टर, खसरा नम्बर 71 रकबा 5.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 70 रकबा 2.67 हैक्टर, खसरा नम्बर 71 रकबा 5.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 72 रकबा 2.99 हैक्टर कुल खसरे 06 कुल रकबा 16.75 हैक्टर में वादीया ने प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 की कुल रकबा 16.75 हैक्टर में रकबा 10.04 हैक्टर में 1/4 हिस्सा तत्कालीन विक्रेतागण (प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02) के हक हिस्से की सम्पूर्ण भूमि अर्थात् रकबा 0.8366 हैक्टर भूमि जरिए बेचाननामा वादग्रस्त भूमि खरीद की थी। लेकिन उक्त भूमि का राजस्व रेकर्ड में वादीया के पक्ष में अमलदरामद नहीं हुआ है।

मौजा ग्राम सुजानपुरा पटवार हल्का दीपपुरा की सरहद में स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 67 रकबा 2.58 हैक्टर, खसरा नम्बर 68 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 69 रकबा 2.76 हैक्टर, खसरा नम्बर 70 रकबा 2.67 हैक्टर, खसरा नम्बर 71 रकबा 5.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 72 रकबा 2.99 हैक्टर कुल खसरे 6 कुल रकबा 16.75 हैक्टर भूमि में से तत्कालीन विक्रेता एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 का रकबा 10.04 हैक्टर में से तत्कालीन विक्रेता एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 के हक हिस्से में से नूनि रकबा 0.8366 हैक्टर भूमि की खातेदारी दर्ज किया जाना उचित उचित प्रतीत होने से बाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजीनामा अनुसार निम्नलिखित प्रकार से वाद अंतिम डिक्री किया जाता है :-

-: आदेश :-

वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाकर मौजा ग्राम सुजानपुरा पटवार हल्का दीपपुरा की सरहद में स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 67 रकबा 2.58 हैक्टर, खसरा नम्बर 68 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 69 रकबा 2.76 हैक्टर, खसरा नम्बर 70 रकबा 2.67 हैक्टर, खसरा नम्बर 71 रकबा 5.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 72 रकबा 2.99 हैक्टर कुल खसरे 6 कुल रकबा 16.75 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की हक हिस्से में




उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

- 4 - वाद सं. 12/2024 मनभरी बनाम सुरजकरण वगैरह

रकबा 0.8366 हैक्टर भूमि में वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। अंतिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार कुचामन सिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक...18/03/2025...को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार I.R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडबा-ना-कुचामन)



डिक्री मुकदमा इब्तेदाई
(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला-डीडवाना-कुचामन (राज.)

बर्डजलास अधिकारी :- श्री सुनील कुमार I, (RAS)

राजस्व वाद संख्या :- 12/2024 GCMS 2024/21

वादीया :-

1. मनभरीदेवी पत्नी श्री रामकरण जाति गुर्जर उम्र 56 वर्ष निवासी ग्राम सुजानपुरा तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना-कुचामन राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. सुरजकरण पुत्र श्री भंवरलाल
2. प्रहलादराम पुत्र श्री भंवरलाल
3. खेताराम पुत्र छोटूराम
4. चुका पुत्री छोटूराम
5. तुलछीराम पुत्र छोटूराम
6. भंवरराम पुत्र रूघाराम
7. भंवरी पुत्री छोटूराम
8. मोहनीदेवी पत्नी नन्दाराम
9. रतनी पुत्री छोटूराम
10. रामेश्वरलाल पुत्र नन्दाराम
11. रामादेवी पत्नी छोटूराम
12. सरजू पुत्र छोटूराम
13. सुरजकरण पुत्र भंवरलाल
14. हरलाल पुत्र कजाराम

समस्त जाति गुर्जर निवासियान ग्राम सुजानपुरा तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना-कुचामन राजस्थान।

15. भंवरराम पुत्र रूघाराम
 16. मेहनीदेवी पत्नी भुवानाराम
 17. रामेश्वरलाल पुत्र आसुराम
 18. हणमानराम पुत्र भुवानाराम
- समस्त जाति मेघवंशी निवासियान इण्डाली तह. नावां जिला डीडवाना-कुचामन राजं।
19. शाखा प्रबंधक यूको बैंक शाखा पांचवा।
 20. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधी तहसीलदार महोदय कुचामन सिटी

दावा इस्तकरार खातेदारी दर्ज करने बाबत अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-बरु वकील श्री बिरमाराम चौधरी व श्री सुरेन्द्र कुमार किरडोलिया अधिवक्ता हाजिरी..... मिनजानिब मुदई रू-बरु श्री मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाकर मौजा ग्राम सुजानपुरा पटवार हल्का दीपपुरा की सरहद न स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 67 रकबा 2.58 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 68 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 69 रकबा 2.76



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

- 6 - वाद सं. 12/2024 मनभरी बनाम सुरजकरण वगैरह

हैक्टेयर, खसरा नम्बर 70 रकबा 2.67 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 71 रकबा 5.74 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 72 रकबा 2.99 हैक्टेयर कुल खसरे 6 कुल रकबा 16.75 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की हक हिस्से में रकबा 0.8366 हैक्टेयर भूमि में वादीया को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। अंतिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार कुचामन सिटी को तहरीर जारी हो।

निज मुबलिंग बाबत..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद भारह..

.. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 18 माह 03 सन् 2023 को जारी की गई।

(मुहर)

दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट: इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)